



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 32 राँची, बुधवार

4 अक्टूबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 289-302
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**21 सितम्बर, 2023**

- 1. संख्या-06/लो०अभि०प्रो०-04/2018-5414--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री गोरख नाथ सिंह, (वरी०क्र०-62)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, गिरिडीह (वेतनमान-पी०बी०-III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, गिरिडीह में पदस्थापित किया जाता है ।
- 2. संख्या-06/लो०अभि०प्रो०-04/2018-5415--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री आनन्द कुमार चौबे, (वरी०क्र०-69)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, साहेबगंज (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, साहेबगंज में पदस्थापित किया जाता है ।
- 3. संख्या-06/लो०अभि०प्रो०-04/2018-5416--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री जानेन्द्र कुमार झा, (वरी०क्र०-78)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, चतरा (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा में पदस्थापित किया जाता है ।
- 4. संख्या-06/लो०अभि०प्रो०-04/2018-5417--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री राजेश कुमार शर्मा, (वरी०क्र०-85)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, पलामू (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी०बी०- III पे०बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, लातेहार में पदस्थापित किया जाता है ।

- 5. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5418--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अनिल कुमार सिंह-2, (वरी॰क्र॰-86)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद में पदस्थापित किया जाता है ।
- 6. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5419--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अशोक कुमार गुप्ता, (वरी॰क्र॰-91)** अपर लोक अभियोजक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची में पदस्थापित किया जाता है ।
- 7. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5420--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री वेद प्रकाश, (वरी॰क्र॰-126)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, राँची (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, खूँटी में पदस्थापित किया जाता है ।
- 8. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5421--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री परमानन्द यादव, (वरी॰क्र॰-127)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, राँची (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, रामगढ़ में पदस्थापित किया जाता है ।
- 9. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5422--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अवधेश कुमार, (वरी॰क्र॰-129)** अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैण्ड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन तक लोक अभियोजक कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद में पदस्थापित किया जाता है ।

श्री अनिल कुमार सिंह-2, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद के दिनांक-30.09.2023 के सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप श्री अवधेश कुमार, लोक अभियोजक दिनांक-01.10.2023 से लोक अभियोजक जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद में पदस्थापित किया जाता है।

10. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5423--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री मनोज कुमार झा, (वरी॰क्र॰-130) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **लोहरदगा** (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **हजारीबाग** में पदस्थापित किया जाता है।

11. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5424--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री संजय कुमार गुप्ता, (वरी॰क्र॰-132) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **खूँटी** (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **जामताड़ा** में पदस्थापित किया जाता है।

12. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5425--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री बसीर अहमद खान (वरी॰क्र॰-134) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **जामताड़ा** (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **गोड्डा** में पदस्थापित किया जाता है।

13. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5426--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री श्याम प्रसाद चौधरी, (वरी॰क्र॰-137) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **राँची** (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **बोकारो** में पदस्थापित किया जाता है।

14. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5427--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अजय कुमार रजक, (वरी॰क्र॰-146) अपर लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, **राँची** (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते

हुए दिनांक-30.09.2023 तक उनके द्वारा धारित पद को उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है। दिनांक-01.10.2023 से उनका स्थानान्तरण तथा पदस्थापन लोक अभियोजक, गुमला के पद पर किया जाता है।

15. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5428--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अमर कुमार चौधरी, (वरी॰क्र॰-153) अपर लोक अभियोजक, अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, राजमहल (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, सिमडेगा में पदस्थापित किया जाता है ।

16. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5429--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्रीमति चम्पा कुमारी, (वरी॰क्र॰-113) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, दुमका (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, दुमका में पदस्थापित किया जाता है ।

17. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5430--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री ब्रजेश कुमार, (वरी॰क्र॰-114) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, प० सिंहभूम, चाईबासा (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ में पदस्थापित किया जाता है ।

18. संख्या-06/लो॰अभि॰प्रो॰-04/2018-5431--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री प्रदीप कुमार मंडल, (वरी॰क्र॰-121) अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, कोडरमा (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में लोक अभियोजक (वेतनमान-पी॰बी॰- III पे॰बैंड-15,600-39,100/-रूपये, ग्रेड पे-7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, कोडरमा में पदस्थापित किया जाता है ।

19. संख्या-06/लो०अभि०प्रो०-04/2018-5432--झारखण्ड अभियोजन सेवा के श्री अनिल कुमार पाण्डेय, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **गुमला** को कार्यहित एवं न्यायहित में अगले आदेश तक **भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची** में पदस्थापित किया जाता है, जो दिनांक-01.10.2023 से प्रभावी होगा ।

- i. यह प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रोन्नत पदाधिकारी यथा स्थान अपर लोक अभियोजक का कार्य भी अगले आदेश तक करते रहेंगे ।
- ii. यह प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।
- iii. नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत/उत्क्रमित पद का लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

----- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-13/सी०पी०ओ०-101/2020-4347--केन्द्रीय संगठन बी०एस०एफ० से झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त श्री अनुप लाल भगत, समादेष्टा, बी०एस०एफ० संप्रति समादेष्टा, आई०आर०बी०-05, गुमला कैम्प, राँची की सेवा इनके पैतृक संगठन महानिदेशालय, बी०एस०एफ०, भारत सरकार को वापस की जाता है ।

साथ ही इनके राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि पैतृक संगठन वापसी हेतु विरमित संबंधी आदेश निर्गत की तिथि तक के लिए विस्तारित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-101/2019-4348--विभागीय अधिसूचना सं०-2917, दिनांक-30.06.2023 जिसके द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, भा०पु०से०, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को दिनांक-25.07.2023 से 30.07.2023 तक 06 (छः) दिनों का उपार्जित अवकाश/विदेश यात्रा की अनुमति स्वीकृत की गई थी, को रद्द करते हुए 02 (दो) दिनों (दिनांक-27.07.2023 से 28.07.2023 तक) का उपार्जित अवकाश उपभोग की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि पत्र

21 सितम्बर, 2023

विभागीय अधिसूचना संख्या-4081--सी०, दिनांक-08.09.2023 में अंकित, "कौशल किशोर" को "श्री किशोर कौशल" पढ़ा जाय ।

उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे ।

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन

संख्या-138--अधोहस्ताक्षरी मैं, पी०आर०के० नायडू, भा०पु०से० (सेवानिवृत्त), आज दिनांक-16.09.2023 के पूर्वाहन से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-13/एस०पी०सी०ए०-101/2018(खण्ड)-4158/सी० के आलोक में **अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार** का पद स्वतः ग्रहण करता हूँ।

पी०आर० के० नायडू, भा०पु०से० (से०नि०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/05/2023-443--CCA/उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका के पत्रांक-**991/विधि**, दिनांक-**24.08.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **दुमका** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **दुमका** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

18 अगस्त, 2023

संख्या-12/सी०-1001/2021-3785--राज्य के गुमला जिलान्तर्गत विधि व्यवस्था एवं अन्य कई तरह की समस्याओं के नियंत्रण हेतु बसिया पुलिस अंचल को विभक्त कर नया पुलिस अंचल सिसई का सृजन किया जाता है। सिसई पुलिस अंचल के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले थाना क्रमशः (1) सिसई, (2) भरनो (3) पूसो एवं (4) करंज होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप तिग्गा,

सरकार के अपर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 अगस्त, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-132/2019-3787--श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-21.08.2023 से 19.09.2023 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त अवधि के लिए श्रीमती गुप्ता, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्य पाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/06/2023-442--CCA/उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक-**660/विधि**, दिनांक-**08.09.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **साहेबगंज** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **साहेबगंज** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-101/2021-5445--जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा के कार्य, वैतनिक पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं गृह रक्षकों के वेतन/कर्तव्य भत्ता के भुगतान संबंधी कार्यों हेतु अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा को जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-101/2021-5446--जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, जामताड़ा के कार्य, वैतनिक पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं गृह रक्षकों के वेतन/कर्तव्य भत्ता के भुगतान संबंधी कार्यों हेतु अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा को जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

3. पुलिस उपाधीक्षक (मु०), गोड्डा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु०), जामताड़ा का पदस्थापन होने पर विभागीय अधिसूचना सं०-3295, दिनांक-09.06.2017 के आलोक में यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

उमाशंकर प्रसाद पाल,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

18 अगस्त, 2023

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-103/2022-4715--झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र दिनांक-09.06.2022 के माध्यम से की गई अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार (अनुक्रमांक-52162700) एवं श्री प्रदीप कुमार अनुक्रमांक-(52311330) को विभागीय अधिसूचना सं०-3001, दिनांक-07.07.2022 द्वारा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (राजपत्रित) सेवा अन्तर्गत मुल कोटि के वेतनमान (पी०बी०-॥ रुपये 9300-34800/- ग्रेड पे-5400, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) में परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में एक वर्षीय आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित किया गया है ।

02. श्री संजय कुमार (अनुक्रमांक-52162700) द्वारा अपने पत्र दिनांक- 06.04.2022 के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे झारखण्ड सरकार के अधीन वित्त सेवा में सेवारत रहने के कारण जिला समादेष्टा के पद पर योगदान नहीं करना चाहते हैं ।

03. श्री प्रदीप कुमार अनुक्रमांक-(52311330) को विभागीय अधिसूचना सं०-3127, दिनांक-28.08.2020 के द्वारा परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया है। श्री प्रदीप कुमार की परीक्ष्यमान अवधि (02 वर्ष) पूर्ण हो गयी है। सम्प्रति इन्होंने अपना योगदान न तो जिला समादेष्टा के पद पर दिया है और न तो Leave or Delayed Joining संबंधी आवेदन विभाग को समर्पित किया है ।

04. झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2021 की कंडिका-37 में निम्न प्रावधान है:-

“A Candidate shall be given maximum three month's time to present himself for joining. If for any reason a candidate dose not join the service or does not obtain leave for delayed joining then his/her recommendation shall be cancelled and the respective vacancy shall be added to the next year requisition”

05. उक्त वर्णित तथ्यों/प्रावधान के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री संजय कुमार (अनुक्रमांक-52162700) एवं श्री प्रदीप कुमार अनुक्रमांक-(52311330) की झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जिला समादेष्टा के पद पर नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा एवं परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में विभाग द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है ।

06. इनकी अनुशंसा एवं नियुक्ति को रद्द करने के पश्चात् हुई रिक्ति को वर्ष 2023 के रिक्ति में सम्मिलित किया जाता है ।

07. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
20 सितम्बर, 2023

संख्या-05/सी०सी०ए०-01/31/2023-444--CCA/उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक-**1592/विधि**, दिनांक-**12.09.2023** द्वारा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। इसमें झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **गिरिडीह** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **गिरिडीह** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लखन राम नायक,
सरकार के अवर सचिव ।

HOME, PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION3rd October, 2023

Memo No.-10/C.B.I.-414/2023-4502-- Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand upon request made vide letter number 603/2023-R, dated 20.09.2023 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of regular case against concerned employee of CCL Ramgarh for committing offences u/s 7 of P.C Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offences that may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences (s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,
Under Secretary to Government.
